# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रत्नू आर.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 121/2020

श्री गऊशाला श्रीगगानगर जरिये अध्यक्ष रमेश कुमार गोयल पत्र श्री बन्शीधर आय 53वर्ष जाति अग्रवाल निवासी 398 अग्रसेंननगर श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

**–:: बनाम ::–**

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट**

**–:: उपस्थिति ::–**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री रमेश कुमार गोयल | – – प्रार्थी स्वयं |
| 2. | पैरोकार राज | – – अप्रार्थी 1 |

**– :: निर्णय ::–** दिनांक :–18.11.2020

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गऊशाला श्रीगंगानगर के नाम से खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 4एम.एल. तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0–162/107 के पं.नं.–0 मुरबा नं0–6 (1. 8970) है नहरी तथा मुरबा नं.–17(3.6700)नहरी मय खाला तथा मुरबा नं.–2 1 का रकबा (0.1000) नहरी कुल रकबा 5.66 70है.नहरी मय खाला भूमि दर्ज जमाबन्दी सम्वत 2066–69 खातेदारी है नकल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थनापत्र है। इसी प्रकार से गऊशाला श्रीगंगानगर के नाम से खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 3 ई. छोटी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0–75/68 के पं.नं.–0 मुरबा नं0–9(6.0720) है. नहरी तथा पं.नं.–0 मुरबा नं0–10(6.3250) है.नहरी मय खाला एवं पं.नं.–0 मुरबा नं0–11 (6.3250) है.नहरी भूमि कुल रकबा 18.7220 है. नहरी मय खाला भूमि दर्ज जमाबन्दी सम्वत 2066–69 खातेदारी है नकल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थनापत्र है। उपरोक्त पैरा सं.–1 व 2 में वर्णित कृषि भूमि में संस्था का नाम श्री गऊशाला श्रीगंगानगर के स्थान पर सहवन से गऊशाला श्रीगंगानगर दर्ज हो चुका है तथा राजस्व रिकार्ड में गऊशाला श्रीगंगानगर ही दर्ज है जबकि संस्था के रिकार्ड एवं अन्य स्थान पर स्थित समस्त अचल सम्पत्ति में संस्था का सही एवं वास्तविक नाम श्री गऊशाला श्रीगंगानगर दर्ज है इसलिये पैरा सं.–1 व 2 में वर्णित कृषि भूमि में दर्ज नाम गऊशाला श्रीगंगानगर को नियमानुसार दुरूस्ती किया जाकर श्री गऊशाला श्रीगंगानगर दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। संस्था के नाम से खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 4 आर.टी.

(राजस्व)
र



Scanned with CamScanner

पी. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) के खाता नं.–138/101 के पं.नं. 178/190 मुरबा नं0–41 (1.1260) है नहरी तथा पं.नं.–179/190 मुरबा नं0–42 (1. 1260) है. नहरी एवं पं.नं.–0 मुरबा नं0–105/5 किला नं.–0(0.0760) है.गै मु रास्ता तथा पं.नं.–0 मुरबा नं0 105/40 किला नं.–0 (0.2400) है. गै मु. रास्ता,कुल रकबा 2. 5680 है. नहरी है. गै.मु.रास्ता दर्ज जमाबन्दी सम्वत 2068–71 खातेदारी है जिसमें संस्था का सही एवं वास्तविक नाम श्री गऊशाला श्रीगंगानगर दर्ज है नकल जमाबन्दी अवलोकनार्थ एवं वास्ते दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप संलग्न प्रार्थनापत्र है। अप्रार्थी सं0–1 लैण्ड होल्डर है इसलिये पक्षकार बनाया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि धारा–136 भू राजस्व अधिनियम–1956 के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र के पैरा सं.–1 ता 2 में दर्ज कृषि भूमि वाके चक 4एम.एल. तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0–162/107 के पं.नं.–0 मुरबा नं0–6 (1.8970) है.नहरी तथा मुरबा नं.–17 (3.6700)नहरी मय खाला, तथा मुरबा नं.–21 का रकबा (0.1 000) नहरी कुल रकबा 5.6670है. नहरी मय खाला भूमि तथा चक 3 ई. छोटी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0–75/68 के पं.नं.–0 मुरबा नं0–9(6.0720) है. नहरी तथा पं.नं.–0 मुरबा नं0–10(6.3250) है नहरी मय खाला एवं प.न.–0 मुरबा नं0–11 (6.3250) है नहरी भूमि कुल रकबा 18.7220 है. नहरी मय खाला भूमि में गऊशाला श्रीगंगानगर को दरूस्त किया जाकर श्री गऊशाला श्रीगंगानगर दर्ज करने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार राज तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से जांच रिपोर्ट ली गई। पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा जरिए कमांक 4046 दिनांक 11.11.2020 के रिपोर्ट पेश की गई, प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त प्रासंगिक पत्र की पालना में पटवारी हल्का 4 एमएल से रिपोर्ट प्राप्त की गई। वादी संस्था पंजीयन प्रमाण पत्र व चक 4 आर टी पी संगरीया में दर्ज खातेदारी अनुसार रिकार्ड में एकरूपता के उद्देश्य से गऊशाला श्रीगंगानगर की बताया श्री गऊशाला श्रीगंगानगर करवाना चाहते हैं। अतः मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का 4 एमएल के उक्त शुद्धि किया जाना उचित है।

## –:: आदेश ::–

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2066–2069 ग्राम का नाम 4 एमएल, पटवार हल्का 4 एमएल, भू.अ.नि.क्षे. श्रीगंगानगर खाता संख्या 162/107 मु.नं. 6, 17, 21 एवम् जमाबंदी सम्वत् 2066–2069 ग्राम का नाम 3 ई छोटी, पटवार हल्का 2 एमएल, भू.अ.नि.क्षे. श्रीगंगानगर खाता संख्या 75/68 मु.नं. 9, 10, 11, जमाबंदी सम्वत् 2068–2071 ग्राम का नाम 4 आर.टी.पी., पटवार हल्का रतनपुरा, भू.अ.नि.क्षे. रतनपुरा खाता संख्या 138/101 मु.नं. 41, 42, 105/5, एवम् पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) प्रमाण पत्र प्रति पेश की। तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गऊशाला श्रीगंगागनर के स्थान पर श्री गऊशाला श्रीगंगानगर करने की अभिशंषा की है। अभिलेखीय साक्ष्यों एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर



Scanned with CamScanner

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार किया जाकर चक 4 एम.एल. तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0–162/107 के पं.नं.–0 मुरबा नं0–6 (1.8970) है.नहरी तथा मुरबा नं.–17 (3.6700)नहरी मय खाला, तथा मुरबा नं.–21 का रकबा (0.1 000) नहरी कुल रकबा 5.6670है. नहरी मय खाला भूमि तथा चक 3 ई. छोटी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0–75/68 के पं.नं–0 मुरबा नं0– 9(6.0720) है. नहरी तथा पं. नं.–0 मुरबा नं0–10(6.3250) है नहरी मय खाला एवं प.न.–0 मुरबा नं0–11 (6.3250) है नहरी भूमि कुल रकबा 18.7220 है. नहरी मय खाला भूमि में गऊशाला श्रीगंगानगर को संशोधित कर उसके स्थान पर श्री गऊशाला श्रीगंगानगर दर्ज करने दर्ज करने आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर पक्षकारान को बुलाकर सुनाया गया।

18.11.20

(उम्मेदसिंह रत्नू)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner